प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **20/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

Ajay Acharya Add: 79/3, Ashok Nagar, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329789555632444 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5946503879 दिनांक 13.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/20/25/78–79 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जरिये पत्रांक सूकाअ/2026/79 दिनांक 24.02.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2026/78 दिनांक 24.02.2026 से पत्र अंतरण किया गया है। अत निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा निवेदन है कि मांगी गई सूचना पूर्णतः लोकहित से संबंधित है। राज्य सरकार के आदेशानुसार SC/ST भूमि योजना के अंतर्गत भूमि सामान्य वर्ग के खातों में दर्ज की जा रही है। इस संबंध में जारी आदेशों एवं योजनाओं के तहत स्वीकृत भूमि के बारे में जानकारी चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी गई है। सोलर फार्म, सोलर प्लांट आदि के लिए भूमि संपरिवर्तन के जो आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किए गए हैं, वे राजकीय दस्तावेज हैं तथा राज्य योजना का भाग हैं। इसलिए यह सूचना लोकहित एवं राजकीय सूचना की श्रेणी में आती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना प्रदान करने की कृपा की जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय गोगुन्दा से सन् 2023, 2024 एवं 2025 में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये गये सभी आदेशों की सूचना चाही गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जरिये पत्रांक 78 दिनांक 24.02.2026 से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर

RajKaj Ref No.: 22502137
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है तथा व्यक्तिगत प्रकृति की है। प्रथम दृष्टया यह कार्यालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से सहमत है साथ ही चाही गई सूचना ना तो अपीलार्थी से संबंधित है ना ही व्यापक लोक हित में है। अपीलार्थी द्वारा किसी बिन्दु विशेष की सूचना नहीं चाही जाकर अत्यंत विस्तृत सूचना चाही गई है जिसे इस अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाया जाना यह कार्यालय उचित नहीं समझता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22502137
M e-Sign